न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

विविध सिलिंग वाद सं०-16/2010

{धारा-47 सिलिंग वाद}

1. श्रीमति स्नेह लता, चौधरी, पति-दुर्गानन्द चौधरी, सा०-भट्टा बाजार, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णियाँ ।
2. श्रीमति कला किरण चौधरी, पति-स्व० कृष्ण मुरारी चौधरी, सा०-श्रीनगर हाता, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णियाँ ।
3. श्रीमति मधुमिता सैन, पति-समीर कुमार सैन, सा०-खजाँची हाट, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णियाँ ।

- आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार

- प्रतिवादी

आदेश

यह विविध सिलिंग वाद बिहार भूहदबन्दी अधिनियम 1961 के धारा-47 के अन्तर्गत मूल सिलिंग वाद सं०-13/75-76 के अधिनियम की धारा-11{1} एवं 15{1} के प्रकाशन में हुई भूल को सुधार करने के लिए दायर किया गया है ।

आवेदिका का कथन है कि प्रश्नगत जमीन आवेदिका सं०-3 में विकल्प को मानते हुए उसकी इकाई में दी गई है । किन्तु खाता, खेसरा, रकवा तो इकाई में दी गई पर संबंधित जमाबंदी नं०-372/05 को धारा-11{1} में प्रकाशित गजट में अधिशेष दिखाते हुए दफा 15{1} के गजट में अधिगृहित कर लिया गया है, जो भूलवश हुआ है । जिसका सुधार न्यायहित में अपेक्षित है । आवेदकगण जमाबन्दी सं०-372/05 को धारा-11{1} के गजट दिनांक:23.3.96 एवं धारा-15{1} के गजट दिनांक:27.6.96 में विलोपित करने हेतु अनुरोध किए हैं । आवेदिका सं०-3 दिनांक:06.09.95 को जमाबन्दी सं०-372/05 को अपनी इकाई में रखने का विकल्प दिया है । जिसे अधिनियम समाहर्त्ता द्वारा दिनांक:23.09.95 को स्वीकृत किया गया है । जिस आधार पर जमाबन्दी नं०-372/05 से संबंधित नगरपालिका, वार्ड, खाता, खेसरा, रकवा भूधारी के यूनिट में दिया गया है । परन्तु जमाबन्दी नं०-372/05 को अधिशेष दिखाते हुए अधिगृहित किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी सं०-372/05 भूलवश दफा 11{1} भूहदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशित गजट दिनांक:23.03.96 में अधिशेष दिखाया गया है तथा ~~अथवा~~ उसी आलोक में दफा 15{1} भूहदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशित गजट दिनांक:27.06.96 में अधिगृहित दिखाया गया है जो मात्र एक लिपिकीय भूल है ।

....2/-

अत: जमाबन्दी सं0-372/05 को दफा 11(1) के गजट दिनांक: 23.03.96 एवं दफा 15(1) के गजट दिनांक: 27.6.96 के गजट से भूल सुधार करने हेतु विलोपित करने का आदेश दिया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों गजट से जमाबन्दी संख्या-372/05 को विलोपित करते हुए पुन: अधिसूचना प्रकाशित करें ।

मूल अभिलेख अपर समाहर्त्ता, भूहदबन्दी को आदेश के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें।

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ ।